

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव

उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग. 494334

Mail Id - mis.kanker@gmail.com | पता-जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,

-:: संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन ::-

क्रमांक/159.07./जिला शिक्षा/सेजेस/भर्ती/2025-26

कांकेर, दिनांक.24.03/2026

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के सेजेस विद्यालय शासकीय नरहरदेव अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर के शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय संविदा कर्मचारियों के पद स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की भर्ती हेतु निहित शर्तों के अंतर्गत योग्यताधारी आवेदकों से लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 153566 दिनांक 17.10.2025 के तहत संविदा भर्ती के तहत मानक विज्ञापन के नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, आवेदन जिले की अधिकारिक वेबसाईट www.kanker.gov.in में जारी निर्देश के तहत ऑनलाईन वेबसाईट के माध्यम से आवेदन फार्म निःशुल्क भेजा जाना प्रस्तावित है। ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 08.104/2026 सायं 05:00 बजे तक निर्धारित है। महोदय उपरोक्तानुसार विद्यालयों में रिक्त पदों सुची/माध्यम एवं पद वर्ग निम्नानुसार है:-

विद्यालय का नाम:- शासकीय नरहरदेव अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर :-

क्रमांक	पद नाम	विषय	माध्यम	रिक्त पद संख्या	वर्ग	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	व्याख्याता	कॉमर्स	अंग्रेजी माध्यम	1	01 अजा	
2	शिक्षक	अंग्रेजी	अंग्रेजी माध्यम	1	01 अनारक्षित	
3	शिक्षक	सा.विज्ञान	अंग्रेजी माध्यम	1	01 अनारक्षित	
4	प्रधान पाठक प्रा शाला	-	अंग्रेजी माध्यम	1	01 अनारक्षित	
5	सहायक शिक्षक	-	अंग्रेजी माध्यम	5	02 अनारक्षित 02 अजजा 01 अजा	
6	सहायक शिक्षक विज्ञान	जीवविज्ञान	अंग्रेजी माध्यम	1	01 अनारक्षित	
7	ग्रंथपाल	-	हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम	1	01 अनारक्षित	
8	सहायक ग्रेड 03	-	हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम	1	01 अनारक्षित	
9	सहायक ग्रेड 02	-	हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम	1	01 अनारक्षित	
			कुल रिक्त पद	13		

➤ सेजेस विद्यालय के रिक्त पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	मानदेय	न्यूनतम शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता
1	2	3	4

1	व्यख्याता	38100/-	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेण के साथ स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बी.एड. उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
2	प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला	35400/-	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण एवं NCTE के अनुसार डी.एड./डी.एलएड अनिवार्य। 2. NCTE के अनुसार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 3. <u>शैक्षणिक अध्यापन अनुभव अनिवार्य-</u> 05 वर्ष या उससे से अधिक शैक्षणिक अनुभव होने चाहिए 05 वर्ष से कम शैक्षणिक अनुभव को अमान्य किया जाएगा।
3	शिक्षक	35400/-	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं NCTE के अनुसार बीएड अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। 3. NCTE के अनुसार उच्च प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अनिवार्य।
4	सहायक शिक्षक	25300/-	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ 12वीं उत्तीर्ण एवं NCTE के अनुसार डी.एड./डी.एलएड अनिवार्य। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। 3. NCTE के अनुसार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
5	सहायक शिक्षक जीवविज्ञान	25300/-	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से जीव विज्ञान के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
6	ग्रंथपाल	22400/-	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक उपाधि एवं बी. लिव उपाधि अनिवार्य। 3. अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
7	सहायक ग्रेड 03	19500/-	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण 2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम्प्यूटर में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा 3. टायपिंग में 8000 प्रति घण्टे की गति होना चाहिए जिस हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। 4. सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

RTI

8	सहायक ग्रेड 02	25300/-	<ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम्प्यूटर में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा 3. टायपिंग में 10000 प्रति घण्टे की गति होना चाहिए जिस हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। 4. सम्पूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
---	----------------	---------	--

➤ चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश एवं शर्त :-

1. कार्यालय द्वारा जारी ऑनलाईन लिंक के माध्यम से आवेदन मान्य होगा। ऑफलाईन आवेदन/पंजीकृत डाक/ अमान्य होंगे।
2. अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए आवेदकों की सम्पूर्ण शिक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड/वि.वि. से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
3. विज्ञापन पदों पर चयन हेतु विभिन्न कक्षाओं के प्राप्तांकों के लिए निम्नानुसार अधिभार के आधार पर मेरिट सूची तैयारी की जायेगी:-

क्र	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांक का प्रतिशत					
		10वीं.	12वीं	स्नातक	स्नातकोत्तर	कौशल परीक्षा	कुल
1	व्याख्याता	-	20	30	50	-	100
2	शिक्षक	20	30	50	-	-	100
3	कम्प्यूटर शिक्षक	20	30	50	-	-	100
4	सहायक शिक्षक	40	60	-	-	-	100
5	सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला	40	60	-	-	-	100
6	प्रधान पाठक	40	60	-	-	-	100
7	ग्रंथपाल	20	30	50	-	-	100
8	सहायक ग्रेड 3	30	50	-	-	20	100
9	सहायक ग्रेड 2	20	20	40	-	20	100

4. दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदकों को उपरोक्त मेरिट के 05 अभ्यर्थी को बुलाया जायेगा। आमंत्रित आवेदक को अपने आवेदन एवं प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होना होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत एन्ट्री का प्रमाण पत्र के साथ परीक्षण किया जायेगा उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।
5. चयन प्रक्रिया का आधार प्रावीण्य सूची होगी। लिखित परीक्षा/मौखिक परीक्षा का प्रावधान नहीं है सहायक ग्रेड 02/03 के पद हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
6. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति नियम) 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
7. संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। शासकीय सेवा में समान पदों दावा की पात्रता नहीं होगी। शासन समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पदच्युत किया जा सकता है।
8. अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न कर अनिवार्य है।
9. आयु सीमा:-
(1) 01 जनवरी, 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हों।

RF

- (2) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (4) निःशक्त व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी।
- (अ) छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाले समस्त निवासियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट देते हुए अधिकतम आयु 40 वर्ष हो।
10. सेजेस में कार्यरत संविदा शिक्षकीय कर्मचारी समान पद हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। केवल उच्च पद हेतु आवेदन कर पायेंगे। इस हेतु शपथ पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे। कि समान पद पर आवेदन नहीं किये है।
 11. छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियम 2024 के तहत अधिसूचित अवकाश नियम नियुक्ति संविदा कर्मचारी के लिए लागू होगा।
 12. संविदा भर्ती कर्मचारी छ.ग. शासन सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अधीन होंगे।
 13. संविदा कर्मचारी को संविदा अवधि में पेंशन मृत्यु लाभ या अन्य कोई भी लाभ जो छ.ग. शासन के नियमित कर्मचारी को प्राप्त है, की पात्रता नहीं होगी।
 14. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
 15. नियुक्ति हेतु चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
 16. अपूर्ण एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जाएंगे अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
 17. एक से अधिक आवेदन भरे जाने पर प्रथम आवेदन को ही मान्य किया जायेगा। शेष आवेदन स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 18. शासन के द्वारा उक्त पदों पर नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
 19. राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम/निर्देश जारी करेगी, जो सर्वमान्य व सभी के लिए वाध्यकारी होगा।
 20. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के समय संलग्न करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।
 21. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर व नियमितकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।
 22. उपरोक्त विज्ञापन माननीय उच्च नयायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी(सी)/क्रमांक/19668/2022 के अंतिम आदेश के अधिन होगा। जिले के सेटअप अनुरूप 100 बिन्दु के आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
 23. उक्त विज्ञापित शैक्षणिक पदों में दर्शित न्यूनतम योग्यता आवेदन दिनांक तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा और शिक्षक के लिये सी.जी/सी टीईटी (पूर्व माध्यमिक स्तर) एवं सहा. शिक्षक के पद हेतु सी. जी/सी टीईटी (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

नियुक्ति अवधि :-

1. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति और स्वामी आत्मानंद शिक्षण समिति के निर्णय अनुसार सभी पदों पर संविदा नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की जावेगी। तथापि प्राचार्य एवं समिति की अनुशंसा के आधार पर कर्मचारी की कार्यक्षमता का आंकलन करने के पश्चात् संविदा नियुक्ति की कालावधि (गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर) नवीनीकरण/बढ़ायी जा सकेगी।

2. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 03 माह का पूर्व सूचना या इनके एवज में 03 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। संविदा अवधि पूर्ण होने पर समिति द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
3. अंतिम चयन सूची जारी होने के उपरांत बनाई गई प्रतीक्षा सूची 01 साल के लिए वैध होगी।

निरहताएँ :-

1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तकर्ता द्वारा चयन के लिए निरहित माना जा सकेगा।
2. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जायेगा, तब तक कि उसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये। परन्तु अपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्ण किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी, कि यदि वह चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
3. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध या अन्य अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक उस अपराधिक प्रकरण का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।

अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तकर्ता का निर्णय संबंधी :-

1. चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा। चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति नियुक्तकर्ता द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
2. सत्यापन में अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने पर अयोग्य माना जायेगा।
3. जिले में संचालित सेजेस में रिक्त पदों पर अभ्यर्थी योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रतिक्षा सूची के अभ्यर्थी की सहमति लेकर अन्य सेजेस स्कूलों में नियुक्ति की जा सकेगी।

अन्य निर्देश:-

1. नियुक्ति उम्मीदवार को उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन देय होगा।
 2. संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ण भत्ता, गृह भाड़ा, इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
 3. नियुक्ति पश्चात अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस के भीतर शासकीय मेडिकल बोर्ड फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 4. विज्ञापन एवं अद्यतन जानकारी जिले के www.kanker.gov.in पर अवलोकन करते रहें।
- (कलेक्टर एवं अध्यक्ष, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- ऑनलाईन आवेदन हेतु निर्देश।


(रमेश कुमार निषाद)

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर छ.ग.को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक (शिक्षा) संभाग-बस्तर, जगदलपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ।
6. सर्व संबंधित सदस्य, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उ.ब. कांकेर के समस्त उत्कृष्ट विद्यालय को सूचनार्थ।
7. सहायक संचालक जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला कांकेर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.कांकेर को सूचनार्थ एवं उक्त विज्ञापन विस्तृत विवरण सहित जिले के वेबसाइट में तत्काल अपलोड करने हेतु।
9. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड-कांकेर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ व सूचना पटल में चस्पा हेतु।
10. प्राचार्य, शास. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय विकासखण्ड-..... जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ व सूचना पटल में चस्पा हेतु।


जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव

उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग. 494334

Mail Id - mis.kanker@gmail.com | पता-जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,

-:: प्रेस-विज्ञप्ति ::-

क्रमांक/15.9.29../जिला शिक्षा/सेजेस/भर्ती/2025-26

कांकेर, दिनांक 24/03/2026

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के सेजेस विद्यालय शासकीय नरहरदेव अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर के शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय संविदा कर्मचारियों के पद स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की भर्ती हेतु निहित शर्तों के अंतर्गत योग्यताधारी आवेदकों से लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 153566 दिनांक 17.10.2025 के तहत संविदा भर्ती के तहत मानक विज्ञापन के नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं, आवेदन जिले की अधिकारिक वेबसाइट www.kanker.gov.in में जारी निर्देश के तहत ऑनलाईन वेबसाइट के माध्यम से आवेदन फार्म निःशुल्क भर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 08/04/2026 सायं 05:00 बजे तक निर्धारित है।

(रमेश कुमार निषाद)

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

क्रमांक/15.9.1.0../जिला शिक्षा/सेजेस/भर्ती/2025-26

कांकेर, दिनांक. 24/03/2026

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक (शिक्षा) संभाग-बस्तर, जगदलपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला कांकेर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु अंग्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.कांकेर को सूचनार्थ एवं उक्त विज्ञापन विस्तृत विवरण सहित जिले के वेबसाइट में तत्काल अपलोड करने हेतु।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव

उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग. 494334

Mail Id – mis.kanker@gmail.com | पता-जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,

क्रमांक/.15.911/...../जिला शिक्षा/सेजेस/भर्ती/2025-26

कांकेर, दिनांक.24.03/2026

-:: ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्देश ::-

- अभ्यार्थी सर्व प्रथम दिए हुए लिंक में क्लिक करेंगे। <https://deokanker.com/recruitment/>
- वेबसाइट ओपन होने पर निर्देशों को अच्छे से पढ़े और पंजीयन में क्लिक करें।
- ओपन हुए पेज में अपना नाम/ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाए और सबमिट बटल पर क्लिक करें।
- सबमिट बटन में क्लिक करने पर एक मेल आपके ईमेल आईडी में आयेगा जिसे वेरिफिकेशन किया जाना है
- आपके ईमेल आईडी में वेरिफिकेशन पूर्ण होने उपरान्त आप लॉगिन ऑप्शन में जायेंगे और आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे।
- लॉगिन होने उपरान्त सर्व प्रथम आप प्रोफाइल एन्ट्री पूर्ण करेंगे। प्रोफाइल एन्ट्री पूर्ण होने उपरान्त चेक करके फाईनल सबमिट बटल में क्लिक करेंगे।
- फाईनल सबमिट बटन क्लिक करने के पहले अपनी सम्पूर्ण जानकारी जो आप एन्ट्री किये है चेक कर लेंगे। फाईनल सबमिट के बाद आपको प्रोफाइल बदलने का ऑप्शन नहीं रहेगा।
- प्रोफाइल पूर्ण होने उपरान्त आप आवेदन मेनू में क्लिक करेंगे।
- आवेदन मेनू के आवेदन हेतु पद चयन पर क्लिक करके आप जिस जिस पद में आवेदन करना चाहते है उसे जोड़ेंगे।
- आप जिस-जिस पद हेतु आप आवेदन करना चाहते है उसे जोड़ने उपरान्त फाईनल सबमिट में क्लिक करेंगे।
- फाईनल सबमिट में क्लिक करने उपरान्त आपके द्वारा आवेदन पद के लास्ट में फाईनल सबमिट का ऑप्शन आयेगा।
- संबंधित पद का आवेदन फाईनल सबमिट करने उपरान्त आवेदन कि स्थिति पूर्ण प्रदर्शित होगी।
- इसी तहत आप अन्य पद हेतु आवेदन कर सकते है
- उपरोक्त वेबसाइट का निर्माण आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है किसी भी प्रकार कि समस्या हेतु आप विज्ञापन में दर्शित ईमेल में आप अपना पत्र प्रेषित कर सकते है।
- पासवर्ड भूल जाने पर आप रिसेट पासवर्ड में जाकर ईमेल बदल सकते है।

(रमेश कुमार निषाद)

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

कांकेर, दिनांक 24.03/2026

क्रमांक/.15.912/...../जिला शिक्षा/सेजेस/भर्ती/2025-26

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक (शिक्षा) संभाग-बस्तर, जगदलपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला कांकेर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.कांकेर को सूचनार्थ एवं उक्त विज्ञापन विस्तृत विवरण सहित जिले के वेबसाइट में तत्काल अपलोड करने हेतु।


जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़